EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page Nos. 3922—3972
Dated 23-8-97

वाणिज्य मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त 1997

का॰आ॰ 2077 :—केन्द्रीय सरकार ने भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए निर्यात से पूर्व अंडा उत्पादों का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण करने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं॰ का॰आ॰ 130(अ), तारीख 20 फरवरी, 1997 को राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 फरवरी, 1997 में प्रकाशित किए गए थे।

2. और इससे प्रभावित होने वाले उन सभी व्यक्तियों से उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

3. और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 20 फरवरी, 1997 को उपलब्ध करा दी गयी थीं।

4. और उक्त प्रारूप पर, जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है।

5. और यह आवश्यक है कि क्वालिटी नियंत्रण के उच्च मापदंड और स्वास्थ्य स्तरों को यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ईईसी) 89/437/ईईसी, तारीख 20-6-1989 और संयुक्त राष्ट्र के कृषि विभाग (यूएसडीए) के विनियमों में विहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाए।

6. अंडा उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और परिवहन की बावत स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाएं अधिकथित की जानी चाहिए और विशिष्टतया यह महत्वपूर्ण है कि इस संबंध में स्थापनों को अनुमोदन को शासित करने वाले नियम अधिकथित किए जाएं।

7. यह भी महत्वपूर्ण है कि अंडा उत्पादों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए नियम अधिकथित किए जाएं।

8. प्रसंस्करणकर्ताओं का, प्रमुखतया, यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस आदेश में अंडा उत्पाद के लिए अधिकथित स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और सक्षम प्राधिकारी यह देखेगा कि इस संबंध में क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण और मानीटरिंग की उपरिवर्णित अपेक्षाओं को पूरा करता है। क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग को शासित करने वाले ये नियम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।

9. पदार्थों में ऐसे अपशिष्टों का जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, पता लगाने के लिए यदाकदा ऐसी जांच करना आवश्यक है।

10. और आयातित देशों की अपेक्षाओं के प्रति निर्देश करते हुए मानीटर करने की प्रक्रिया की बावत ऐसे उपबन्ध किए जाएं जो उपरोक्त स्थितियों की समानता सुनिश्चित हो जाए;

11. और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी देश में क्वालिटी मानकों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करें।

12. अतः अब, केन्द्रीय सरकार के, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए। निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात् उसकी यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है :—

क. यह अधिसूचित करती है कि निर्यात से पूर्व अंडा उत्पाद क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अध्यधीन रहते हुए होंगे।

ख. अंडा उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1997 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को ऐसे क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो ऐसे अंडा उत्पादों पर, अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट देशों को, निर्यात से पूर्व लागू होंगे।

ग. विनिर्देशों को मान्यता देना :—

(i) निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों के मानके तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानक।

(ii) निर्यातक द्वारा घोषित ऐसे विनिर्देश जो, क्रेता और निर्यातकर्ता के मध्य हुए निर्यात करार में तय पाए गए, विनिर्देश है परन्तु यह तब जब कि वे उपरोक्त खंड (i) में विनिर्दिष्ट मानकों से निम्न मानकों के न हों।

घ. किसी यूनिट द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में, जिसके अन्तर्गत यूरोपियन संघ (ई यू) और संयुक्त राज्य अमेरिका (यू एस ए) भी सम्मिलित हैं, अंडा उत्पाद का निर्यात तब तक प्रतिषिद्ध होगा जब तक कि वह निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7(1) के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा अनुमोदित और मानिटर की गयी ऐसी यूनिट द्वारा यह कथन करते हुए एक प्रमाणपत्र के साथ कि अंडा उत्पाद लागू मानकों के अनुरूप है।

13. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को अंडा उत्पाद के ऐसे वास्तविक नमूनों के भूमि या समुद्र या वायु मार्ग द्वारा निर्यात पर लागू नहीं होगी जिनका मूल्य समय-समय पर आयात-निर्यात नीति में यथा अधिकथित अनुज्ञेय सीमाओं से अधिक नहीं होगा और जहां ऐसा कोई उपबंध नहीं है वहां निःशुल्क नमूनों की मूल्य सीमा 10,000/- रुपए से अधिक नहीं होगी।

14. इस आदेश में, अंडा उत्पादों से अभिप्रेत है :—

अंडों से प्राप्त किया गया वह उत्पाद, जो उसके आवरण और झिल्ली को पृथक करने से, विभिन्न संघटक और मिश्रण से प्राप्त होता है तथा जो मानव उपयोग के लिए आशयित है। वह आंशिक रूप में अन्य खाद्य पदार्थों या संयोजनों द्वारा अनुपूरित हो सकता है, जो सांद्रित, सूखा, क्रिस्टलित, प्रशीतित, द्रुतशीतित या जमे हुए रूप में हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है।

[फा. सं. 6(1)/95-ईआई एण्ड ईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 4th August, 1997

S.O. 2077.—Whereas, for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Egg Products to Quality Control and Inspection prior to export, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Extraordinary Gazette of Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 20th February, 1997 under the order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 130(E) dated 20th February, 1997.

2. And, whereas, the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby, within a period of forty five days of the date of publication of the said order in the Official Gazette.

3. And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 20th day of February, 1997.

4. Whereas, the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government.

5. And whereas, it is necessary to maintain the highest quality standards and stipulate health requirements that would encompass the standards prescribed in European Economic Community (EEC) Directives 89/437/EEC dt. 20-6-1989, the United States Department of Agriculture (USDA) regulations etc.

6. Whereas, health requirements should be laid down for the production, storage and transport of egg products; whereas, in particular, it is important that rules be laid down governing the approval of establishments.

7. Whereas, it is important also that the health requirements to be met by egg products be laid down.

8. Whereas, it is the responsibility primarily of the processors to ensure that egg products meet the health requirements laid down in this order; whereas, the competent authority must by carrying out quality control, inspection and monitoring see to it that processors comply with the above mentioned requirements; whereas, the rules governing these quality control, inspections and monitoring must take account of the demands of the international market.

9. Whereas, a random check must be made to detect the presence of residues of substances liable to be harmful to human health.

10. And, whereas, provisions should, therefore, be made for procedure for monitoring to ensure the above conditions of equivalence with reference to the requirements of the importing countries.

11. And, whereas, Central Government nominated Competent Authority should ensure the effective compliance of the quality standards in the Country.

12. Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), Central Government after consulting the Export Inspection Council being of the opinion that it is necessary and expedient to do so for the development of the export trade of India, hereby :

(a) notifies that Egg products shall be subjected to quality control, inspection and monitoring prior to export.

(b) specifies the type of quality control, inspection and monitoring shall be in accordance with the Export of Egg products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997 as the type of Quality Control, Inspection and Monitoring which shall be applied to such egg products prior to export, to the countries as specified, in the notification.

(c) recognises the specifications :

(i) National and International Standards and standards of other bodies recognised by the Export Inspection Council;

(ii) The specifications declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract between buyer and the exporter, provided that the same are not below the standard specified in clause (i) above.

(d) prohibits the export of Egg products by a unit in the course of International Trade which includes European Union (EU) and United States of America (USA) unless it conforms to the standards applicable to it and is accompanied by a certificate stating that such unit is approved and monitored by the Export Inspection Agencies established under Section 7 (1) of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

13. Nothing in this order shall apply to the export by land or sea or air of bonafide samples of egg products to prospective buyers, the value of which shall not exceed permissible limits as laid down in Exim Policy from time to time where no such provisions exist the value limit of free sample(s) shall not exceed Rs. 10,000.

14. In this order, Egg Products means :—Products obtained from eggs, their various components or mixtures thereof after removal of the shell and membranes, intended for human consumption; they may be partially supplemented by other foodstuffs or additives; they may be liquid, concentrated, dried, crystallized, frozen, quick-frozen or coagulated;

[F. No. 6/1/95-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director